नियमावली, 95

उत्तर प्रदेश शासन

शिक्षा अनुभाग-7

संख्या- 1677 /15-7-1(262)/1991 टी.सी.

लखनऊ: दिनांक: 8 मई, 1995

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1982 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1982) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली, बनाते है :-

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग नियमावली, 1995

भाग एक
सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग नियमावली, 1995 कही जायगी,

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

परिभाषायें

2- जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :-

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1982 से है,

(ख) "उप निदेशक" का तात्पर्य किसी सम्भाग के प्रभारी उप शिक्षा निदेशक से है,

(ग) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य अध्यापक के किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और जो अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाये गये नियमों के अनुसार की गयी हो और इसके अन्तर्गत अधिनियम की धारा 33-क या 33-ख के अधीन विनियमित नियुक्ति भी है,

(घ) "रिक्ति" का तात्पर्य किसी अध्यापक की मृत्यु सेवा निवृत्ति त्याग पत्र, सेवा समाप्ति, पदच्युति या हटाये जाने या नये पद के सृजन या किसी पदधारी का किसी उच्चतर पद पर मौलिक रूप से नियुक्ति या पदोन्नति के परिणाम स्वरूप हुई रिक्ति से है ।

[illegible]

नियमावली, 95

शिक्षा अनुभाग-7

संख्या- 1677 /15-7-1(262)/1991 टी.सी.

लखनऊ: दिनांक: 8 मई, 1995

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1982 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1982) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली, बनाते है :-

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग नियमावली, 1995

भाग एक
सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग नियमावली, 1995 कही जायगी,

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

परिभाषायें

2- जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :-

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1982 से है,

(ख) "उप निदेशक" का तात्पर्य किसी सम्भाग के प्रभारी उप शिक्षा निदेशक से है,

(ग) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य अध्यापक के किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और जो अधिनियम के उपबन्धों और तदधीन बनाये गये नियमों के अनुसार की गयी हो और इसके अन्तर्गत अधिनियम की धारा 33-क या 33-ख के अधीन विनियमित नियुक्ति भी है ,

(घ) "रिक्ति" का तात्पर्य किसी अध्यापक की मृत्यु, सेवा निवृत्ति त्याग पत्र, सेवा समाप्ति , पदच्युति या हटाये जाने या नये पद के सृजन या किसी पदधारी का किसी उच्चतर पद पर मौलिक रूप से नियुक्ति या पदोन्नति के परिणाम स्वरूप हुई रिक्ति से है ।

भाग दो

अर्हता

नागरिकता

3- अध्यापक के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी --

§क§ भारत का नागरिक हो, या

§ख§ तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

§ग§ भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या केनिया, उगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया §पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार§ के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रव्रजन किया हो,

परन्तु यह और कि श्रेणी §ख§ के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी §ग§ का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में तभी रहने दिया जायगा यदि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो ।

टिप्पणी :- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र या तो वह प्राप्त कर ले या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय ।

आयु

4- अध्यापक के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी की आयु उस कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को जिसमें यथास्थिति आयोग द्वारा या उप निदेशक द्वारा रिक्तियां विज्ञापित की जाय । इक्कीस वर्ष की हो गई हो ।

5- अध्यापक के किसी पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी की इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन बनायी गयी विनियमावली के अध्याय दो के विनियम 1 में विनिर्दिष्ट अर्हतायें होनी चाहिए ।

चरित्र

6- अध्यापक के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह किसी शैक्षणिक संस्था में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके । आयोग इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा ।

टिप्पणी : संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे । नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे ।

वैवाहिक प्रास्थिति

7- किसी अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु राज्य सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं ।

शारीरिक स्वस्थता

8- §1§ किसी अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए कोई अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो :

परन्तु संगीत विषय के लिए किसी अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए कोई नेत्रहीन व्यक्ति अपात्र नहीं होगा ।

§2§ किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से चुने जाने के पूर्व आयोग द्वारा उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह किसी सरकारी अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी से स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें :

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं की जायगी ।

...ी बालिका ...था में किसी ...ष अभ्यर्थी ...ी नियुक्ति पर ...ोक

9- कोई पुरूष अभ्यर्थी किसी बालिका संस्था में किसी अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु इस नियम की कोई बात निम्नलिखित के सम्बन्ध में लागू नही होगी :-

§क§ किसी बालिका संस्था में पहले से स्थायी अध्यापक के रूप में का... कर रहे किसी अभ्यर्थी की उसी संस्था में संस्था के प्रधान के पद से भिन्न अध्यापक के किसी उच्चतर पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, या

§ख§ संगीत विषय के लिए किसी नेत्रहीन अभ्यर्थी की अध्यापक के रूप में नियुक्ति :

परन्तु यह और कि संस्था के प्रधान के पद से भिन्न किसी अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए जब कोई उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न हो या किसी अन्य पर्याप्त कारण से आयोग का यह समाधान हो जाय कि ऐसा करना छात्राओं के हित में समीचीन है तो वह ऐसे पद के लिए किसी पुरूष अभ्यर्थी का चयन कर सकता है :

परन्तु यह भी कि पूर्ववर्ती परन्तुक के अनुसार किसी पुरूष अभ्यर्थी का चयन करने के पूर्व आयोग सम्बन्धित संस्था के प्रबन्धतंत्र और उप निदेशक की राय प्राप्त कर सकता है उस पर विचार कर सकता है ।

भाग-तीन

भर्ती की प्रक्रिया

भर्ती का स्रोत

10- अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों में भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :-

§क§ किसी इण्टरमीडिएट कालेज का प्रधानाचार्य या किसी हाई स्कूल का प्रधान अध्यापक	सीधी भर्ती द्वारा
§ख§ प्रवक्ता श्रेणी के अध्यापक	§एक§ 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा,
	§दो§ 50 प्रतिशत प्रशिक्षित स्नातक §एल0टी0§ श्रेणी के मौलिक रूप में नियुक्त अध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा,

(ग) प्रशिक्षित स्नातक (एल०टी०) श्रेणी के अध्यापक	–	(एक) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, (दो) अध्यापन प्रमाण पत्र (सी०टी०) श्रेणी के मौलिक रूप में नियुक्त अध्यापकों से पदोन्नति द्वारा ।

परन्तु यदि भर्ती के किसी वर्ष में पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, तो पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है :

परन्तु यह और कि इस नियम के अधीन पदों के प्रतिशत की क्रमशः गणना करते समय यदि कोई भिन्न आ जाय तो सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के भिन्न को छोड़ दिया जायगा और पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के भिन्न को एक पद बनाने के लिए बढ़ा दिया जायेगा ।

रिक्तियों का अवधारण और अधिसूचित किया जाना

11– (1) प्रबन्धतंत्र अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अनुसार रिक्तियों की संख्या का अवधारण करेगा और उन्हें निरीक्षक के माध्यम से आयोग को यहाँ दी गयी रीति से अधिसूचित करेगा ।

(2) सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले प्रत्येक श्रेणी के पद के लिए भर्ती के वर्ष के अन्तिम दिनांक को सेवा निवृत्ति के कारण होने वाली सम्भावित रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए प्रबन्धतंत्र द्वारा रिक्तियों का विवरण परिशिष्ट "क" में दिये गये प्रपत्र में पृथकतः चार प्रतियों में भर्ती के वर्ष की 15 जुलाई तक निरीक्षक को भेजा जायेगा और निरीक्षक अपने कार्यालय के अभिलेखों से सत्यापन करने के पश्चात जिले में प्रवक्ता श्रेणी की रिक्तियों के बारे में विषयवार रिक्तियों का और प्रशिक्षित स्नातक (एल०टी०) श्रेणी के बारे में समूह वार रिक्तियों का समेकित विवरण पत्र तैयार करेगा । इस प्रकार तैयार किया गया समेकित विवरण पत्र, प्रबन्धतन्त्र से प्राप्त विवरण पत्र की प्रतियों के साथ, निरीक्षक द्वारा आयोग को 31 जुलाई तक और उसकी एक प्रति उप निदेशक को भेजी जायगी :

परन्तु यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करना समीचीन है, तो वह लिखित आदेश द्वारा किसी विशेष भर्ती के वर्ष के सम्बन्ध में आयोग को रिक्तियों के अधिसूचित किये जाने के लिए कोई अन्य दिनांक नियत कर सकती है :

परन्तु यह और कि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक को विद्यमान रिक्तियों के साथ-साथ 30 जून, 1995 को सम्भावित रिक्तियों का विवरण पत्र प्रबन्धतंत्र यदि पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन कोई अन्य दिनांक नियत नहीं किया गया है, निरीक्षक को 15 जून, 1995 तक भेजेगा और निरीक्षक इस उपनियम के अनुसार संशोधित विवरण पत्र आयोग को 30 जून, 1995 तक भेजेगा ।

स्पष्टीकरण : इस उप नियम के प्रयोजनों के लिए प्रशिक्षित स्नातकों (एल0टी0) श्रेणी के सम्बन्ध में शब्द समूहवार का तात्पर्य निम्नलिखित समूहों के अनुसार से है, अर्थात :-

(क) भाषा समूह - इस समूह में हिन्दी, संस्कृत, उर्दू, फारसी और अरबी विषय है,

(ख) विज्ञान समूह- इस समूह में विज्ञान और गणित विषय है,

(ग) कला और शिल्प समूह -

(घ) संगीत समूह -

(ङ) कृषि समूह -

(च) गृह विज्ञान समूह

(छ) शारीरिक शिक्षा समूह -

(ज) सामान्य समूह इस समूह में वे विषय है जो किसी पूर्ववर्ती समूह में न आये हो ।

(3) यदि, उपनियम (2) के अधीन रिक्तियों के अधिसूचित किये जाने के पश्चात, अध्यापक के किसी पद पर कोई रिक्ति होती है, तो प्रबन्धतंत्र इसके होने के पन्द्रह दिन के भीतर उक्त उप-नियम के अनुसार निरीक्षक को अधिसूचित करेगा और निरीक्षक उसे प्राप्त करने के दस दिन के भीतर आयोग को भेज देगा ।

(4) जहां, भर्ती के किसी वर्ष के लिए प्रबन्धतंत्र उप नियम (2) में विनिर्दिष्ट दिनांक तक रिक्तियां अधिसूचित नहीं करता या उक्त उप नियम के अनुसार उन्हें अधिसूचित करने में असफल रहता है तो निरीक्षक अपने कार्यालय के अभिलेख के आधार पर अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अनुसार ऐसी संस्था में रिक्तियों का अवधारण करेगा और उक्त उपनियम में निर्दिष्ट दिनांक तक रीति में और उनको आयोग को अधिसूचित करेगा ।

इस उप-नियम के अधीन आयोग को अधिसूचित की गई रिक्तियां ऐसे संस्था के प्रबन्धतंत्र द्वारा अधिसूचित की गयी समझी जायेंगी ।

.....7

सीधी भर्ती प्रक्रिया

12- (1) आयोग, सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के संबंध में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए रिक्तियों का विज्ञापन कम से कम दो ऐसे समाचार पत्रों में करेगा, जिनका राज्य में व्यापक प्रचलन हो, और विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में चयन के लिए विचार किये जाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा । इण्टरमीडिएट कालेज के प्रधानाचार्य या हाईस्कूल के प्रधान अध्यापक के पद के लिए विज्ञापन में संस्था के नाम और स्थान का भी उल्लेख किया जायेगा और अभ्यर्थियों से अधिमानता के क्रम में तीन से अनधिक संस्थाओं के इच्छानुसार नाम देने की अपेक्षा की जायगी और यदि किसी अभ्यर्थी की यह इच्छा हो कि किसी विशिष्ट संस्था या संस्थाओं के लिए ही और किसी अन्य संस्था के लिए नहीं, उसके नाम पर विचार किया जाय तो वह अपने आवेदन पत्र में इस तथ्य का उल्लेख कर सकता है ।

(2) आयोग आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगा और यथा स्थिति, परिशिष्ट ख, ग या घ में विनिर्दिष्ट गुणवत्ता बिन्दुओं के आधार पर प्रत्येक श्रेणी के पदों के लिए सूचियां तैयार करेगा, और प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातक (एल0टी) श्रेणी के पद के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने अधिकतम गुणवत्ता बिन्दुओं को प्राप्त किया हो इस रीति से बुलायेगा कि अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या के पांच गुने से कम न होगी ।

(3) आयोग प्रत्येक श्रेणी के पद के लिए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करेगा और साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट योग्यता के क्रम में उन अभ्यर्थियों का, जो नियुक्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पाये जायें, एक पैनल तैयार करेगा । किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी विशिष्ट संस्था में नियुक्ति के लिए दिए गये अधिमान, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक के पद के लिए संस्थावार पैनल तैयार किया जायेगा जबकि प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातक (एल0टी0) श्रेणी के पदों के लिए नियुक्ति के लिए इसे क्रमशः विषयवार और समूहवार तैयार किया जायेगा । यदि दो या अधिक

.....8

अभ्यर्थी साक्षात्कार में बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें, तो उस अभ्यर्थी का नाम, जिसके उच्चतर गुणवत्ता चिन्हु हो, पैनल में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा और यदि साक्षात्कार में प्राप्त किये अंकों के साथ-साथ दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर बराबर गुणवत्ता चिन्हु प्राप्त करें, तो उस अभ्यर्थी का नाम, जो अधिक आयु का है, उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा । प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक के पद के लिए पैनल में, नामों की संख्या पदों की संख्या की तिगुनी होगी और प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातक (एल0टी0) श्रेणी में अध्यापकों के पदों के लिए यह रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी ।

स्पष्टीकरण :- इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए शब्द "समूहवार" का तात्पर्य, नियम 11 के उप-नियम (2) के स्पष्टीकरण में विनिर्दिष्ट समूहों के अनुसार, से है ।

(4) प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातक (एल0टी0) श्रेणी में अध्यापकों के पद के लिए अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के समय आयोग उन संस्थाओं की सूची जिन्होंने उसे रिक्ति अधिसूचित की हो दिखाने के पश्चात अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा करेगा कि यदि वह इच्छुक हों तो अधिमानता के क्रम में अधिक से अधिक पांच ऐसी संस्थाओं को चुन लें जो उसके गृह जिले में स्थित न हो, और जहां वह चयन हो जाने पर नियुक्ति के इच्छुक हों ।

(5) उप नियम (3) के अनुसार पैनल तैयार करने के पश्चात आयोग प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातकों (एल0टी0) श्रेणी में अध्यापकों के पदों के संबंध में चयनित अभ्यर्थियों को इस रीति से संस्थाओं का आवंटन करेगा कि वह अभ्यर्थी जिसका नाम पैनल में शीर्ष पर हो उपनियम (4) के अनुसार उसके द्वारा दिये गये प्रथम अधिमानता की संस्था में आवंटित होगा । जहां किसी चयनित अभ्यर्थी को इस आधार पर उसके अधिमान की संस्थाएं आवंटित नहीं की जा सकती कि पैनल में उससे उच्चतर स्थान वाले अभ्यर्थियों को पहले ही ऐसी संस्थाएं आवंटित की जा चुकी है, और कि उनमें कोई रिक्ति शेष नहीं है तो आयोग उसको कोई भी संस्था, जो वह उचित समझे, आवंटित कर सकता है ।

.....9

परन्तु यह कि किसी अभ्यर्थी को उसके गृह जिले की संस्था आवंटित नहीं की जायेगी ।

(6) आयोग, उप नियम (3) के अधीन तैयार किये गये पैनल को, उप नियम (5) के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को आवंटित संस्थाओं के नामों सहित निरीक्षक को अग्रसारित करेगा और उसकी एक प्रति उप निदेशक को भेजेगा और उसे अपने सूचना पट्ट पर भी अधिसूचित करेगा ।

चयन किये गये अभ्यर्थियों के नामों की सूचना

13- (1) निरीक्षक, पैनल की प्राप्ति के दस दिन के भीतर और नियम 12 के अधीन संस्था के आवंटन पर --

(एक) इसे अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर अधिसूचित करेगा ,

(दो) चयन किये गये अभ्यर्थी का नाम संस्था के प्रबन्धतंत्र को, जिसने रिक्ति को अधिसूचित किया है, ऐसे निदेश के साथ सूचित करेगा कि प्रबन्धतंत्र के संकल्प के अधीन प्राधिकृत किये जाने पर परिशिष्ट "ड. में दिये गये निदर्श में अभ्यर्थी को नियुक्ति का आदेश रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा जारी किया जाय जिसमें उससे आदेश प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर, जिसकी अनुमति प्रबन्धतंत्र द्वारा उसे दी जाय, कार्यभार ग्रहण करने की अपेक्षा की जाय और उसे यह भी सूचित किया जाय कि विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसके कार्यभार ग्रहण न करने पर उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जायगी ,

(तीन) खण्ड (दो) में निर्दिष्ट अभ्यर्थी को इस निदेश के साथ सूचना भेजेगा कि वह प्रबन्धक से नियुक्ति का आदेश प्राप्त करने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर, जिसकी अनुमति प्रबन्धतंत्र द्वारा उसे दी जाय, प्रबन्धक को अपनी उपस्थिति सूचित करे ।

(2) प्रबन्धतंत्र उप नियम (1) के अधीन दिये गये निदेशों का अनुपालन करेगा और इसके अनुपालन की सूचना निरीक्षक के माध्यम से आयोग को देगा ।

(3) जब उप नियम (1) में निर्दिष्ट अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र में अनुमत समय के भीतर या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर, जैसा प्रबन्धतंत्र इस निमित्त दे

.....10

पद का कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहे या जहाँ ऐसा अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अन्यथा उपलब्ध न हो, वहाँ निरीक्षक प्रबन्धतन्त्र के अनुरोध पर ऐसे नये अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के नाम, जो पैनल में यथास्थिति क्रम में उसके बाद हों, भेजेगा और उसकी सूचना उपनिदेशक और आयोग को देगा, और उप नियम (1) और (2) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

14- (1) जहाँ कोई रिक्ति पदोन्नति द्वारा भरी जानी हो, वहाँ प्रशिक्षित स्नातक (एल0टी0) श्रेणी या अध्यापन प्रमाण पत्र (सी0टी0) श्रेणी, यदि कोई हो, जो पद के लिये विहित अर्हतायें रखते हों और ऐसी भर्ती के वर्ष के प्रथम दिनांक को इस रूप में पांच वर्ष की निरन्तर सेवा की हो, यथास्थिति प्रवक्ता श्रेणी या प्रशिक्षित स्नातक (एल0टी0) श्रेणी पदोन्नति के लिये विचार किया जायेगा चाहे उन्होंने उसके लिये आवेदन पत्र दिया हो या नहीं ।

टिप्पणी - इस उप नियम के प्रयोजनार्थ किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्था में की गयी नियमित सेवा की गणना पात्रता के लिये की जायेगी जब तक कि हटाये जाने, पदच्युत किये जाने या निम्न पद पर अवनत किये जाने से उसमें व्यवधान न हुआ हो ।

(2) पदोन्नति के लिये मानदण्ड, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता होगी ।

(3) प्रबन्धतंत्र उप नियम (1) में निर्दिष्ट अध्यापकों की एक सूची तैयार करेगा और उस ज्येष्ठता सूची की एक प्रति, सेवा अभिलेख, जिसके अन्तर्गत चरित्र पंजियाँ भी है और परिशिष्ट "क" में दिये गये निदर्श में एक विवरण पत्र के साथ, निरीक्षक के माध्यम से आयोग को अग्रसारित करेगा ।

(4) उप नियम (3) के अधीन प्रबन्धतंत्र से सूची प्राप्त होने के तीन सप्ताह के भीतर निरीक्षक अपने कार्यालय के अभिलेखों से तथ्यों का सत्यापन करेगा और सूची आयोग को अग्रसारित करेगा ।

(5) आयोग उप नियम (3) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों को विचार करेगा और ऐसी अतिरिक्त सूचना जिसे वह आवश्यक समझे मांग सकता है आयोग चयन किये गये अभ्यर्थियों के पैनल को एक माह के भीतर निरीक्षक को अग्रसारित करेगा और उसकी एक प्रति उप निदेशक को भेजेगा ।

.....11

(6) उप नियम (5) के अधीन आयोग से पैनल की प्राप्ति पर दस दिन के भीतर निरीक्षक चयन किये गये अभ्यर्थी के नाम संस्था के प्रबन्धतन्त्र को, जिसने रिक्तियों को अधिसूचित किया है, भेजेगा और प्रबन्धतन्त्र अपने संकल्प के अधीन प्राधिकृत किये जाने पर ऐसे अभ्यर्थी को परिशिष्ट "ड." में दिये गये निदर्श में नियुक्ति का आदेश जारी करेगा ।

सीधी भर्ती द्वारा तदर्थ नियुक्ति की प्रक्रिया

15- (1) (क) जहां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 18 के अधीन अध्यापकों की तदर्थ नियुक्ति की जानी हो, विषयवार प्रवक्ता श्रेणी और प्रशिक्षित स्नातक (एल०टी०) श्रेणी के साथ साथ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करते हुए उप निदेशक रिक्तियों का विज्ञापन कम से कम दो समाचार पत्रों में, जिनमें से एक का जिले में और दूसरे का राज्य में व्यापक प्रचलन हो, करेगा और तदर्थ नियुक्ति के लिये परिशिष्ट "च" में दिये गये निदर्श में आवेदन पत्र आमन्त्रित करेगा । ऐसे विज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ पद का वेतन और अनुमन्य भत्ते, नियुक्ति के लिये न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें और ऐसी अन्य बाते जिन्हें आवश्यक समझा जाय, होगी । अभ्यर्थियों से उनके अधिमान क्रम में तीन से अनधिक जिलों का विकल्प दिये जाने की अपेक्षा की जायेगी, जहां चुने जाने पर वह नियुक्ति के लिये इच्छुक हों । जहां किसी अभ्यर्थी की इच्छा किसी विशिष्ट जिले के लिये हो और किसी अन्य जिले के लिये नहीं, वहां वह अपने आवेदन पत्र में इस तथ्य का उल्लेख करेगा ।

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट आवेदन पत्र रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उप निदेशक को समाचार पत्र में विज्ञापन के प्रकाशित होने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर इस प्रकार से भेजा जायेगा कि वह उप निदेशक के कार्यालय में विज्ञापन में उल्लिखित आवेदन पत्र के पहुंचने के अन्तिम दिनांक को या इसके पूर्व पहुंच जाय ।

(ग) खण्ड (क) से निर्दिष्ट आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित होगा --

.....12

.....14

(एक) रेखांकित पोस्टल आर्डर के रूप में संदेयित उप निदेशक को देय पन्द्रह रूपये फीस :

परन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में ऐसी फीस पांच रूपये होगी ,

(दो) एक स्वयं का पता लिखा लिफाफा, और

(तीन) अन्य दस्तावेज जो अपेक्षित हो ।

(घ) खण्ड (ख) या (ग) के अनुसार न भेजे गये किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा ।

(2) उप निदेशक आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगा और परिशिष्ट "छ" में विनिर्दिष्ट गुणवत्ता विन्दुओं के आधार पर अभ्यर्थियों की सूची तैयार करायेगा । गुणवत्ता विन्दुओं का संकलन संगणक के माध्यम से या सेवा निवृत्त सरकारी राजपत्रित अधिकारी के माध्यम से ऐसे उप निदेशक के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन भुगतान के आधार पर कराया जा सकता है । उप नियम (1) के अधीन विज्ञापन के प्रकाशन के लिए और इस उपनियम के अधीन सूचियां तैयार करने के लिए भुगतान आवेदन पत्र के साथ प्राप्त हुई फीस की धनराशि से किया जा सकता है। उपनिदेशक आवेदन पत्रों के साथ सूचियां चयन समिति के समक्ष रखेगा ।

(3) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट सूचियों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करने के पश्चात उप नियम (2) के अधीन गुणवत्ता विन्दुओं द्वारा प्रकट योग्यता के क्रम में प्रवक्ता श्रेणी में नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूचियां विषयवार और प्रशिक्षित स्नातक (एल0टी0) श्रेणी में नियुक्ति के लिए सूचियां समूहवार तैयार करेगी । यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों ने बराबर-बराबर गुणवत्ता विन्दुओं को प्राप्त किया हो तो उस अभ्यर्थी का नाम जो आयु में अधिक हो सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा । सूची में नामों की संख्या उप नियम (1) के अधीन विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी ।

स्पष्टीकरण :- उप नियम (1) और इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए शब्द "समूहवार" का तात्पर्य नियम 11 के उपनियम (2) के स्पष्टीकरण में विनिर्दिष्ट समुहों के अनुसार से है ।

....13

....14

(4) चयन समिति उन संस्थाओं की जिलेवार, जिनके संबंध में रिक्तियां आयोग को अधिसूचित की गई है, सूची भी उनके नामों को हिन्दी वर्णमाला क्रम में रखकर तैयार करेगी । यदि दो या अधिक संस्थाओं के नाम एक ही वर्ण से प्रारम्भ हो तो उस संस्था का नाम, जिसे मान्यता पहले मिली हो, सूची में ऊपर रखा जायेगा ।

(5) (क) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों को संस्थाओं का आवंटन इस प्रकार करेगी कि उन अभ्यर्थियों को जिनका नाम उपनियम (3) के अधीन तैयार सूची में शीर्ष पर हो उप नियम (1) के खण्ड (क) के अधीन दिए गए जिले के अधिमान को दृष्टि में रखते हुए वह संस्था आवंटित की जायगी जिसका नाम उपनियम (4) के अधीन तैयार सूची में शीर्ष पर हो । यदि किसी चयनित अभ्यर्थी को उसके अधिमान के जिले की किसी संस्था का आवंटन इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि पैनल में उच्चतर स्थान के अभ्यर्थियों को ऐसे जिले की संस्थाओं को पहले ही आवंटित कर दिया गया है और उस जिले में कोई रिक्ति शेष नहीं है तो चयन समिति उसे किसी भी जिले में कोई भी संस्था आवंटित कर सकती है जैसा वह उचित समझे । इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति संस्थाओं में रिक्तियों के भरे जाने तक की जायगी :

परन्तु किसी भी अभ्यर्थी को उसके गृह जिले की संस्था का आवंटन नहीं किया जायगा ।

(ख) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों के नामों को नियुक्ति के लिए उन संस्थाओं को जिन्हें उसे आवंटित किया गया है, के प्रबंधतंत्र को, संबंधित निरीक्षक को एक प्रति देते हुए, संस्तुत करेगी ।

(6) प्रबन्धतंत्र, प्रस्ताव पारित करके, रजिस्ट्रीकृत डाक से उस अभ्यर्थी को चयन समिति से उसका नाम प्राप्त होने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर, नियुक्ति का आदेश जारी करेगा और आदेश से दस दिन के भीतर या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर, जिसकी प्रबन्धतंत्र द्वारा उसे अनुमति दी जाय, उससे कार्यभार ग्रहण करने की अपेक्षा करेगा और प्रबन्धतंत्र उसे यह भी सूचित करेगा कि विनिर्दिष्ट समय के भीतर कार्यभार ग्रहण न करने पर उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जायगी और उसकी एक प्रति निरीक्षक और उप निदेशक को भेजेगा ।

(7) जहां कोई अभ्यर्थी, उपनियम (6) में निर्दिष्ट, नियुक्ति के आदेश में अनुमत समय के भीतर, या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर जिसे प्रबन्धतंत्र इस निमित्त

.....14

अनुमति दे, पद को ग्रहण करने में विफल रहता है या जहां अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अन्यथा उपलब्ध न हो, तो चयन समिति, प्रबन्धतंत्र के अनुरोध पर उपनियम §3§ के अ तैयार सूची में योग्यता क्रम में आगे आने वाले अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों को संस्तुत कर सकती है और उपनियम §6§ के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे

पदोन्नति द्वारा तदर्थ नियुक्ति की प्रक्रिया

16- §1§ जहां, पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के संबंध में, अध्यापकों की तदर्थ नियुक्तियां अधिनियम की धारा 18 के अधीन की जानी हों, वहां प्रबन्धतंत्र ऐसे अध्यापकों के मामलों पर, जो प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी §एल०टी०§ या अध्यापन प्रमाण पत्र श्रेणी §सी०टी०§ में कार्य कर रहे हों और इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 या तदधीन बनाये गये विनियमों के अधीन विहित अर्हतायें रखते हों और रिक्त होने के दिनांक को इस रूप में कम से कम पांच वर्ष की निर सेवा की हो, यथास्थिति प्रवक्ता श्रेणी या प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी §एल०टी०§ में पदोन्नति के लिए, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर, उनके द्वारा उस पद के लिए आवेदन किये बिना भी विचार करेगा ।

स्पष्टीकरण :इस उपनियम के प्रयोजन के लिए,-

§क§ किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्था में की गई सेवा की पात्रता के लिए गणना की जायगी यदि वह पद से हटाये जाने, पदच्युति या निम्न पद पर पदावनति से उसमें व्यवधान न हुआ हो ,

§ख§ किसी अध्यापक को अनुपयुक्त समझा जायगा यदि--

§एक§ नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी आपराधिक मामले में उस विरूद्ध जांच या विचारण लम्बित हो, या

§दो§ उसके विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही चल रही हो ।

§2§ प्रबन्धतंत्र ज्येष्ठता सूची की प्रति के साथ और उसके सेवा अभिलेख को जिसमें चरित्र पंजी सम्मिलित है, चयनित अध्यापक के नाम को निरीक्षक को अनुमोदनार्थ अग्रसारित करेगा ।

§3§ निरीक्षक, उपनियम §2§ के अधीन नामों की प्राप्ति के दिनांक से दस दिन के भीतर संबंधित संस्था के प्रबन्धतंत्र को अनुमोदित अध्यापकों के नामों को भेजेगा और नियम 15 के उपनियम §6§ के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहि प्रवृत्त होंगे ।

.....15

17- किसी पद पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जावेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

18- अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कदाचार के अन्वेषण और उसे सिद्ध करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी :

(क) जहां शिकायत करने पर या अन्यथा राज्य सरकार का, प्रारम्भिक जांच करने के पश्चात् या अन्य प्रकार से यह समाधान हो जाय कि किसी सदस्य के विरूद्ध कदाचार का प्रथम दृष्ट्या मामला है वहां वह संबद्ध सदस्य को इस बात का विकल्प देगी कि या तो विना शर्त पद त्याग कर दे या अन्वेषण का सामना करें,

(ख) यदि ऐसा विकल्प देने से पन्द्रह दिन के भीतर खण्ड (क) में निर्दिष्ट कोई त्याग पत्र प्राप्त न हो तो राज्य सरकार एक जांच अधिकारी नियुक्त कर सकती है जो उच्च न्यायालय का कोई आसीन या सेवानिवृत न्यायधीश या ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायधीश नियुक्त किये जाने के लिए पात्र हो,

(ग) जांच अधिकारी संबद्ध सदस्य को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात और ऐसा साक्ष्य लेने के पश्चात जैसा वह आवश्यक समझे, अपनी रिपोर्ट जांच पूरी होने के पन्द्रह दिन के भीतर राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा,

(घ) ऐसी जांच करने में, जांच अधिकारी जांच के नियमों और नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों द्वारा मार्गदर्शित होगा और जांच की प्रक्रिया से संबंधित औपचारिक नियमों द्वारा आबद्ध नहीं होगा,

(ड.) उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधि-नियम संख्या 4 सन् 1976) के उपबन्ध ऐसी जांच को लागू होंगे,

.....16

(च) जहां, जांच के दौरान किसी भी कारण से जांच अधिकारी बदल दिया जाय, नये जांच अधिकारी के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह नये सिरे से जांच प्रारम्भ करे और जांच उस प्रक्रम से जारी रखी जा सकती है जब जांच अधिकारी को बदला गया था ।

(छ) इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जांच अधिकारी को जांच की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी जिसके अन्तर्गत उसकी बैठक का स्थान और समय निर्धारित करना और यह निश्चय करना भी है कि जांच सार्वजनिक रूप से या बन्द कमरे में की जानी चाहिए ।

विनियमावली, 42

उत्तर प्रदेश सरकार
शिक्षा अनुभाग-7
संख्या- 1283/15-7--95-1(262)/91 टी.सी.
लखनऊ: दिनांक: 7 अप्रैल, 1995

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 31 सन् 1994) द्वारा यथा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग, अधिनियम, 1982 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1982) की धारा 34 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उक्त अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और अपने कृत्यों के पालन करने के लिए अनुसरण की जाने वाली फीस निहित करने और प्रक्रिया अधिकथित करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाते है :-

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (प्रक्रिया और कार्य संचालन) प्रथम विनियमावली, 1995

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- (1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (प्रक्रिया और कार्य संचालन) प्रथम विनियमावली, 1995 कही जायगी ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

परिभाषाएं

2- जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस विनियमावली में, --

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1982 से है ,

(ख) (समिति) का तात्पर्य आयोग या अध्यक्ष द्वारा अपने सदस्यों में से गठित की गई समिति से है,

(ग) "साक्षात्कार" के अन्तर्गत मौखिक परीक्षा या व्यक्तित्व परीक्षा भी है,

(घ) "अधिकारी" का तात्पर्य आयोग के अधिकारी से है और इसके अन्तर्गत सचिव भी है,

(ङ) "सचिव" का तात्पर्य आयोग के सचिव से है ।

....2

परिशिष्ट "क"

(नियम 11(2) और 14(3) देखिये)

अध्यापक/प्रधानाचार्य/प्रधान अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए अधियाचन प्रपत्र :

(चार प्रतियों में भेजा जायगा)

1- (एक) संस्था का नाम

(दो) स्थान

(तीन) जिला

(चार) छात्रों की संख्या कक्षा सेक्शन संख्या

(पाँच) विषयों की संख्या : हाईस्कूल/ इण्टर

(छः) अध्यापकों की संख्या :

2- (एक) पद (पदों) का/के नाम जिसके/जिनके लिए चयन किया जाना हो

(दो) पदों की संख्या

(तीन) पद (पदों) के लिये अर्हताएं

(चार) पद का वेतनमान

3- जहाँ पद जिसके लिए चयन किया जाना हो, प्राध्यापक या एल0टी0 श्रेणी का हो, वहाँ -

(एक) स्वीकृत पदों की कुल संख्या

(दो) पहले से -

(क) सीधी भर्ती

(ख) पदोन्नति

द्वारा भरी गयी पदों की संख्या

(तीन) प्रबन्धतंत्र द्वारा अवधारित रिक्तियों की कुल संख्या जो -

(क) सीधी भर्ती

(ख) पदोन्नति

द्वारा भरी जायेगी ।

4- निम्नलिखित के लिए आरक्षित पदों की, यदि कोई हों, संख्या -

(क) अनुसूचित जाति

------ 2

(ख) अनुसूचित जनजाति

(ग) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग

5- पदोन्नति के लिए पात्र समस्त अभ्यर्थियों के नाम, उनकी अर्हता और उस श्रेणी में जिससे पदोन्नति की जानी हो, नियमित नियुक्ति के दिनांक से सेवाकाल ।

6- कोई अन्य सूचना जो आयोग चाहे -

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना ठीक-ठीक अभिलिखित की गयी है और उसका सत्यापन सुसंगत अभिलेखों से कर लिया गया है ।

प्रबन्धक ।

सत्यापित और सचिव, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद को अग्रसारित ।

जिला विद्यालय निरीक्षक
सम्भागीय बालिका विद्यालय
निरीक्षिका ।

---

x केवल तभी भरा जाय जब पद पदोन्नति द्वारा भरा जाना हो ।

परिशिष्ट "ख"

(नियम 12(2) देखिये)

सीधी भर्ती द्वारा अध्यापकों के चयन के लिए गुणवत्ता बिन्दु :

प्रशिक्षित स्नातक (एल0टी0) श्रेणी के लिए

परीक्षा का नाम	गुणवत्ता बिन्दु
1- हाईस्कूल	अंकों का प्रतिशत / 10
2- इण्टरमीडिएट	अंकों का प्रतिशत x 2 / 10
3- स्नातक उपाधि	अंकों का प्रतिशत x 4 / 10

अन्य	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
4- प्रशिक्षण (क) सिद्धान्त	12	6	3
(ख) प्रयोगात्मक	12	6	3
5- स्नातकोत्तर उपाधि	15	10	5

परिशिष्ट "ग"

(नियम 12(2) देखिये)

सीधी भर्ती द्वारा अध्यापकों के चयन के लिए गुणवत्ता बिन्दु।

प्रवक्ता श्रेणी के लिए -

परीक्षा का नाम	गुणवत्ता बिन्दु
1- हाईस्कूल	अंकों का प्रतिशत / 10
2- इण्टरमीडिएट	अंकों का प्रतिशत x 2 / 10
3- स्नातक उपाधि	अंकों का प्रतिशत x 4 / 10
4- स्नातकोत्तर उपाधि	अंकों का प्रतिशत x 8 / 10

परिशिष्ट "घ"

(नियम 12(2) देखिए)

इण्टरमीडिएट विद्यालय के प्रधानाचार्य/हाईस्कूल के प्रधान अध्यापक के चयन के लिए गुणवत्ता बिन्दु :

परीक्षा का नाम	गुणवत्ता बिन्दु
1- हाईस्कूल	अंकों का प्रतिशत / 10
2- इण्टरमीडिएट	अंकों का प्रतिशत x 2 / 10
3- स्नातक उपाधि	अंकों का प्रतिशत x 4 / 10
4- स्नातकोत्तर उपाधि	अंकों का प्रतिशत x 8 / 10

अन्य

	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
5- प्रशिक्षण (क) सिद्धान्त	12	6	3
(ख) प्रयोगात्मक	12	6	3

6- प्रशासनिक अनुभव

प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक और अधिकतम 15 अंक ।

परिशिष्ट "ङ."

(नियम 13 (एक) (दो) और 14(6) देखिये)

(रजिस्ट्रीकृत आवरण के अधीन)

(संस्था का नाम)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

स्थान- -संख्या- - - - - - - -

जिला- -दिनांक- - - - - - - - -
- -

विषय:- अध्यापक/प्रधानाचार्य/प्रधान-अध्यापक की नियुक्ति ।

महोदय/महोदया,

मुझे आपको यह सूचित करना है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आपका - पद के लिए चयन कर लिया गया है । संस्था की प्रबन्ध समिति ने अपने संकल्प संख्या- दिनांक- - - - - - - - द्वारा आपको- के वेतनमान में - - - - - - - -रुपये के प्रारम्भिक वेतन और मंहगाई भत्ता और ऐसे अन्य भत्तों के साथ, जो नियमों, आदेशों के अधीन अनुमन्य हो, एक वर्ष की परिवीक्षा पर - - - - - - - - - - - - - - तक अस्थायी रूप से नियुक्त किया है ।

आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इस पत्र की प्राप्ति के दिनांक से 10 दिन के भीतर प्रधानाचार्य/प्रधान अध्यापक/प्रबन्धक को अपनी उपस्थिति सूचित करें और कार्यभार ग्रहण करें । यदि आप विनिर्दिष्ट समय के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो नियुक्ति रद्द कर दी जायगी ।

भवदीय,

प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अग्रसारित -

(1)- सचिव, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद

(2)- संभागीय उप शिक्षा निदेशक - - - - - - - सम्भाग

(3)- जिला विद्यालय निरीक्षक/सम्भागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका- - - - - - -

प्रबन्धक

परिशिष्ट "च"

(नियम 15(1)(क) देखिये)

संस्था में प्रवक्ता या प्रशिक्षित स्नातक (एल0टी0) श्रेणी में सीधी भर्ती द्वारा तदर्थ नियुक्ति के लिए आवेदन-पत्र :

1- आवेदित पद का नाम
(जहाँ आवश्यक हो विषय का उल्लेख करें)

2- आवेदक का नाम

3- पिता का नाम

4- स्थायी पता

5- डाक का पता

6- गृह जिला

पासपोर्ट साइज में प्रमाणित फोटो यहां चिपकाएं।

7- लिंग ☐ पुरुष ☐ महिला

8- जन्म दिनांक
(प्रमाण पत्र संलग्न करें)

9-

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग	अन्य

(यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के हों तो प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

10- नागरिकता

11- शैक्षिक अर्हताएं
(प्रमाणित अंकपत्र और प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क्र0सं0	परीक्षा का नाम	विषय	प्राप्तांक प्रतिशत	श्रेणी	परीक्षा लेने वाली संस्था

12- पोस्टल आर्डर का विवरण

13- जिले के तीन चुनाव जहाँ अधिमानता के क्रम में तैनात किया जाना अपेक्षित हो ।

14- संलग्नकों का विवरण

घोषणा

मैं - - - - - - - - - - - एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में मेरे द्वारा इस आवेदन में दी गई सूचनाएं सही हैं ।

आवेदक के हस्ताक्षर

परिशिष्ट "छ"

(नियम 15(2) देखिये)

सीधी भर्ती द्वारा तदर्थ नियुक्ति के लिए अध्यापकों के चयन के लिए गुणवत्ता बिन्दु :

(1) प्रशिक्षित स्नातक (एल0टी0 श्रेणी के लिए

परीक्षा का नाम	गुणवत्ता बिन्दु		
1- हाईस्कूल	अंकों का प्रतिशत / 10		
2- इण्टरमीडिएट	अंकों का प्रतिशत x 2 / 10		
3- स्नातक उपाधि	अंकों का प्रतिशत x 4 / 10		
अन्य	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
4- प्रशिक्षण (क) सिद्धान्त	12	6	3
(ख) प्रयोगात्मक	12	6	3
5- स्नातकोत्तर उपाधि	15	10	5

प्रवक्ता श्रेणी के लिए

	गुणवत्ता बिन्दु
1- हाईस्कूल	अंकों का प्रतिशत / 10
2- इण्टरमीडिएट	अंकों का प्रतिशत × 2 / 10
3- स्नातक उपाधि	अंकों का प्रतिशत × 4 / 10
4- स्नातकोत्तर उपाधि	अंकों का प्रतिशत × 8 / 10

आज्ञा से,

डा० इन्दु प्रकाश ऐरन
प्रमुख सचिव ।